न्यायालय उप जिला कलेक्टर हि

दिनांक	फर्द अहकाम
11/10/2021	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय व न्यायालय वकील उपस्थित नहीं। पत्रावली में न्यायालय व न्यायालय वकील को आवाज दिलवायी। आवाज दिलवाने के बावजूद न्यायालय व न्यायालय वकील उपस्थित नहीं। जिससे यही जाहिर होता है कि न्यायालय व न्यायालय वकील पत्रावली आगे चलाना चाहते हैं। अतः मु.न.व. 3/13 धारा सुरक्षार्थ बाबत् गजमालाशेट मयमहावीर व मयमपैरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशकर्ता हमारा रीडर नम्बर सी मन्ना है। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (कोटपूतली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sin
Date: 2022.06.08 15:39:12 IS
Reason: SelfAttested